

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/34206/2018)

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्रमांक 1 रीवा द्वारा क्योटी -जनकहाइ (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण में वनमंडल रीवा के वन परिक्षेत्र सिरमौर के कक्ष क्रमांक आर.एफ.100 रकबा 1.572 हे. एवं कक्ष क्रमांक आर.एफ.101 रकबा 4.560 हे. कुल रकबा 6.132 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्रमांक 1 रीवा को उक्त मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी क्योटी -जनकहाइ (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण हेतु 6.132 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 13/04/2022

स्थान: रीवा

(आनन्द कुमार सिंह)

मार्च 2001

मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)